तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
17/05/22	पत्रावली आज पेश हुई। कार्यालय टिप्पणी देखी। तलब होकर पत्रावली दिनांक 19/05/22 को फोलोअप शिविर [illegible] पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
19/05/22	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान फोलोअप कैम्प [illegible] पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहे हैं। प्रकरण के बावत मौके से जानकारी ली, [illegible] [illegible] से [illegible] लोक न्यायालय [illegible] गया। [illegible] तहसीलदार [illegible] के [illegible] [illegible] पालना [illegible] होने पर [illegible] पत्रावली की [illegible] पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (प्रमोद कुमार) उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 [illegible] गुडामालानी/आडेल

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 17/2022

प्रार्थी :–

1. तिलाराम वल्द नवलाराम
   कौम मेघवाल निवासी गुरूओं का तला तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. दोलाराम वल्द नवलाराम
2. भूराराम वल्द खेताराम
3. विरधाराम वल्द खेताराम
4. चांपाराम वल्द सागराराम
5. तारूराम वल्द चेतनराम
6. बगता वल्द चनणा
7. रूगाराम वल्द चेतनराम
8. सांवता वल्द चनणा
9. राऊराम वल्द चेतनराम
10. उदाराम वल्द चेतनराम
    कौम मेघवाल निवासी गुरूओं का तला तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
11. करनाराम वल्द वनाराम
12. केसाराम वल्द वनाराम
13. गोरखाराम वल्द वनाराम
14. घमण्डाराम वल्द वनाराम
15. वालीदेवी पत्नी वनाराम
    कौम जाट साकिन गुरूओं का तला तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखडा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 19/05/22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:22 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली अ[illegible] अभियान–2021 फॉलोअप शिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय नोखड़ा [illegible] हुई पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली [illegible] न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2075–2078 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा गुरूओं का तला के खेत खिसरा नम्बर 766/617, 770/768 रकबा क्रमशः 3.2617, 1.2060 हैक्टेयर कुल रकबा 4.4677 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा गुरूओं का तला के खेत खिसरा नम्बर 766/617, 770/768 रकबा क्रमशः 3.2617, 1.2060 हैक्टेयर कुल रकबा 4.4677 हैक्टेयर के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19/5/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:22 IST
Reason: SelfAttested